

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0  
(सम्पत्ति अनुभाग)  
लखनऊ::दिनांक::अगस्त, 28 2020

1. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,  
वाणिज्य कर, उ0प्र0।
2. अपर निदेशक(प्रशिक्षण),  
वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,  
लखनऊ।

**विषय : वाणिज्य कर विभाग के विभागीय कार्यालय भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना किये जाने के संबंध में।**

कृपया शासन के पत्र संख्या-रा0क0-4-548 / 11-2020 दिनांक 11.08.2020 से शासकीय भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना किये जाने के संबंध में आपके नियंत्रणधीन शासकीय भवन (विभागीय भवन)/अर्द्धशासकीय भवनों में प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं।

आप विदित ही हैं कि विभागीय कार्यालय भवनों में रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना हेतु मुख्यालय द्वारा समय-समय पर पूर्व में भी निर्देश दिये गये हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि विभागीय भवन का निरीक्षण कर लें कि रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली आपके अधीनस्थ कार्यालय में क्रियाशील है या नहीं? यदि क्रियाशील नहीं है तो अनुरक्षण का प्रस्ताव एक कार्यदायी संस्था से और यदि भवन में रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना नहीं है तो परिपक्व प्रस्ताव तीन कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त कर कार्य कराये जाने की टाइम लाइन का उल्लेख करते हुए स्पष्ट प्रस्ताव प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए मूल रूप में तीन-तीन प्रतियों में उपलब्ध कराये जाने हेतु आपके अधीनस्थ संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर को निर्देशित कर दें तथा स्वयं भी अनुश्रवण करते हुए कृत कार्यवाही से मुख्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(सूर्यमणि लालचंद)

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक:उक्त।

- प्रतिलिपि:-1. डिप्टी कमिश्नर(प्रभारी नजारत), वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मुख्यालय नाजिर को उपरोक्तानुसार समयबद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।
2. ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0), वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय साइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।